

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी -सह- अनुमंडल पदाधिकारी गुमला।
आदेश फलक

वेक ऑफिस बडीला,
गुमला
बनाम

नीलाम पत्र वाद संख्या- 15 / 18-19

गौतम गुमान चौधरी

आदेश की क्रम सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी सहित
14.12.18	<p>अधियाची पदाधिकारी <u>वेक ऑफिस बडीला, गुमला</u> से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा -5 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई है। जिसमें श्री <u>गौतम गुमान चौधरी, पिता श्री चौधरी, लीडर वॉल रोड, चौकी गुमला, गुमला</u> जिला गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए मो० <u>61,118.00</u> रुपये बकाया दर्शाया गया है। अधियाची पदाधिकारी के कोर्ट फी दाखिल किया/नही किया है अधियाचना के परिक्षण से यह प्रतित होता है कि बकाया उचित है और वाद द्वारा विधि वर्जित नही है अतः पतिकृत करने हुए देनदार के विरुद्ध अधिनियम की धारा - 7 के तहत सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक - <u>15.01.19</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित ।</p> <p>नीलाम पत्र पदाधिकारी गुमला।</p> <p>नीलाम पत्र पदाधिकारी गुमला।</p>	